मत्स्य निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-47/2017-18/ 04 (आ0)/मत्स्य/राँची/दिनांक 24.06.2021

प्रेषक,

एच0 एन0 द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य के सचिव
सह निकासी एवं व्ययन पदा0,
मत्स्य निदेशालय, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/उप शीर्ष-48-झास्कोफिश को अनुदान योजना अंतर्गत मो0 2,00,00,000/- (दो करोड़) रु0 मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग- **सामान्य** स्वीकृत्यादेश सं0 06 रा0 (विभाग) दिनांक 16.06.2021 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 449, आवंटन सं0 22 आ0 (वि0) दिनांक 23.06.2021 एवं ऑनलाईन आवंटन सं0-1050, 1051 एवं 1052 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2021-22 में मांग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/उप शीर्ष-48-झास्कोफिश को अनुदान योजना अंतर्गत **सामान्य** स्वीकृत्यादेश सं0 06 रा0 (विभाग) दिनांक 16.06.2021 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 449, आवंटन सं0 22 आ0 (वि0) दिनांक 23.06.2021 एवं ऑनलाईन आवंटन सं0-1050, 1051 एवं 1052 के आलोक में मो0 2,00,00,000/- (दो करोड़) रु0 मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। यह आवंटन राज्यादेश द्वारा स्वीकृत मो0 200.00 लाख (दो करोड़) रु0 मात्र के विरुद्ध आवंटित है।

2. उपर्युक्त आवंटन योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक 224/बजट, दिनांक 30.03.2021 के आलोक में शत्-प्रतिशत् अधिसीमा अंतर्गत निम्न लघु शीर्षो में दिया जा रहा है।

3. स्वीकृत्यादेश के कंडिका-4 के आलोक में पूर्ण राशि की निकासी एक मुस्त में करते हुए प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश के पी0 एल0 खाते में हस्तांतरित किया जाएगा ।

4. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-101- अन्तर्देशीय मछली पालन/उप शीर्ष-48-झास्कोफिश को अनुदान योजना अंतर्गत निधि का आबंटन:

क0	स्थापना का नाम	आवंटित राशि
		06-अनुदान-48-अंशदान विपत्र कोड- **53S24050010148010648**
1	निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची	8000000
	कुल योग :	**8000000**

मो0 अस्सी लाख रु0 मात्र।

5. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उप शीर्ष-48-झास्कोफिश को अनुदान योजना अंतर्गत निधि का आबंटन:

क0	स्थापना का नाम	आवंटित राशि
		06-अनुदान-48-अंशदान विपत्र कोड- 53S24050079648010648
1	निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची	**8000000**
	कुल योग :	**8000000**

मो0 अस्सी लाख रु0 मात्र।

6. वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना/उप शीर्ष-48-झास्कोफिश को अनुदान योजना अंतर्गत निधि का आबंटन:

क0	स्थापना का नाम	आवंटित राशि
		06-अनुदान-48-अंशदान विपत्र कोड- 53S24050078948010648
1	निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची	**4000000**
	कुल योग :	**4000000**

मो0 चालीस लाख रु0 मात्र।

तीन लघु शीर्षो में कुल आवंटन दो करोड़ रु0 मात्र ।

7. इस आवंटन के विरुद्ध वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाये।

8. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाये। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।

9. राशि की निकासी झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन सख्ती से किया जाये।

10. निर्गत स्वीकृत्यादेश का अक्षरश: पालन किया जाए।

11. वित्त विभाग के पत्रांक 224/बजट/दिनांक 30.03.2021 के आलोक में यह आवंटन निर्गत किया जाता है।

12. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक निदेशालय को अनिवार्य रूप उपलब्ध करावें।

13. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु0-ऑनलाईन आवंटन

विश्वासभाजन

ह0 24/6/21

(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची।

ज्ञापांक 04 (आ0) मत्स्य/ रॉची, दिनांक 24.06.2021

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची/अवर सचिव, बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग/प्रबंध निदेशक, झासकोफिश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 24/6/21

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची।

ज्ञापांक 04 (आ0) मत्स्य/रॉची, दिनांक 24.06.2021

प्रतिलिपि संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संयुक्त मत्स्य निदेशक/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 24/6/21

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची।